तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.4.19	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उप0। प्रतिवादी पैरोकार उप0। उभय पक्ष को सुना। वादी की कयशुदा भूमि मौजा आंरग, पटवार मण्डल– आंरग, तह0 शिव की खसरा नम्बर 503/129 रकबा 37.10 बीघा अवस्थित है। वक्त बैचान दस्तावेज मे वादी का नाम लिपीकिय त्रुटि से केसाराम पुत्र ताजाराम अंकित हो गया तथा बैचान दस्तावेजात के आधार पर अन्य सभी राजस्व रेकर्ड में भी वादी का नाम केसाराम पुत्र ताजाराम अंकित हो गया, जबकि वादी का सही नाम कमलेश चौधरी पुत्र ताजाराम है। वादी के अन्य सभी आवश्यक दस्तावेजात में भी वादी का सही नाम कमलेश चौधरी पुत्र ताजाराम दर्ज है। राजस्व रेकर्ड में वादी का गलत नाम अंकित हो जाने से वादी को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अत: वादी उक्त वाद प्रस्तुत कर मौजा आंरग, पटवार मण्डल–आंरग, तह0 शिव के खसरा नम्बर 503/129 रकबा 37.10 भूमि के राजस्व रेकर्ड में स्वयं के नाम केसाराम पुत्र ताजाराम के स्थान पर कमलेश चौधरी पुत्र ताजाराम घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया। वाद पंजीयन कर उसमें अंकित तथ्यो के संबंध में अवलोकन किया तथा वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान जमांबदी, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, विद्यालय रेकर्ड, 10वी की अंकतालिका, पेनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये। वादी ने ब्यान शपथ पत्र प्रस्तुत किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। वादी के बयान एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार वादी का सही नाम कमलेश चौधरी पुत्र ताजाराम होने की पुष्टि होती है। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा आंरग, पटवार मण्डल– आंरग, तह0 शिव के खसरा नम्बर 503/129 रकबा 37.10 बीघा भूमि के राजस्व रेकर्ड में अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम केसाराम पुत्र ताजाराम के स्थान पर कमलेश चौधरी पुत्र ताजाराम होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव, जिला–बाड़मेर	

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता)
(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिव
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह आई.ए.एस.
वादी :– कमलेश चौधरी पुत्र ताजाराम,जाति–जाट, नि0बायतु भीमजी तह0 बायतु
बनाम
प्रतिवादीगण :– 1. राज0 राज्य जरिए तहसीलदार शिव।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्रसिंह सियाग एडवोकेट– वादी।
2. प्रतिवादी पैराकार उप0।

अन्तिम डिक्री

वादी एवं प्रतिवादीगण को आज दिनांक 28.06.2019 को सहायक कलक्टर शिव के समक्ष अन्तिम रूप से निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:–

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा आंरग, पटवार मण्डल– आंरग, तह0 शिव के खसरा नम्बर 503/129 रकबा 37.10 बीघा भूमि के राजस्व रेकर्ड में अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम केसाराम पुत्र ताजाराम के स्थान पर कमलेश चौधरी पुत्र ताजाराम होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

निर्णय आज तारीख 28.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(प्रताप सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 12:18:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: